

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकट्टा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

बाद संख्या :..... 108 / 2020-21 2017

लेख्य प्रकार-..... सं. दे. ग. म. क. ल. म. म. दे. री -


03/11/20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में संयुक्त बाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त बाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के गप भवन में हस्तांतरण क क्रम में अभिलेखक अन्यात्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर सनाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निदेशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0न0 नैति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुपत्र/नैति के अनुपालन में सं0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायन की गई जनाबंदीयों को जांच क क्रम में राजस्व उप नि० एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् सं० न० खास भूमि की जनाबंदी कायन है।

जान	खता	खंत्तरा	रकबा	जनाबंदीदार	पंजी-2 का
<u>सं. दे. ग. म. क. ल. म. म. दे. री</u>	01	—	0.66 ए	रैयत का नाम <u>सं. दे. ग. म. क. ल. म. म. दे. री</u>	पृ0सं0/भाग 168/5

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक न उपरोक्त वर्णित जनाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।

अतः संबंधित को संधारित जनाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।


03/11/20

अंचल अधिकारी
बरकट्टा

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तानिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/सं0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जांच की गई। जनाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जनाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनाना, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदीवस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जनाबंदी सं० 168/5 वनाम सं. दे. ग. म. क. ल. म. म. दे. री को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की अंगूरता की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप सनाहर्ता, बरहो को भेजें।


23/11/20

अंचल अधिकारी
बरकट्टा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - श्री श्री कुम्हार, पि-१९४६ कुम्हा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण - श्री. शर्मा

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>कुम्हारपुर</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>-</u>	<u>०.६६२</u>
3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या १ पृष्ठ सं०-१६८ पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - १९७८-७९
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतियान का नाम - श्री. शर्मा
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - आदेश (पंजी-११) है
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिश्चित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूयदावस्ती -
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस दफ्तर अखिलेश से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी-11 से
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अचित्त लगान स्वीकृत याख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या

लगान स्वीकृत याख्या

कार्य निर्मात तिथि

वसूली नं०
१९९०-९१

५४३६६६

२/१/१९९१

[Signature]

[Signature]
२३/११/२०००

अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला फॉर्म शिफ्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - ह. वाराणसी - 221005
 2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम - नरसिंह कुंवर सिंह - 1946-66 - 1946/2
 ग) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी -

संख्या	थाना नं०	खारा सं०	खसरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्त जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>कोमहरा 289</u>	<u>99</u>	<u>1</u>	<u>—</u>	<u>0.66</u>	<u>210 रकबा</u>	

जमीन का पुराना रकबा 210 रकबा का जो अब 210 रकबा का है पर सुपेरेडियमिंग में 9 रकबा का अंतर है।

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - पखी
 4. अवैध जमाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है - 1978-79 से
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम - आर.एस. कर्मचारी है
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मियों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।)
 6. नामान्तरण/दाखिल -खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी
 के गणनों में मूल जमाबन्दी रकबा की विवरणी - न
 7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार न
 i) अनियोजित सादा हुकुमनामा न
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आवेशानुसार) न
 iii) अवैध भू-बन्दोबस्ती (वाद सं० के साथ) न
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादत पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये कम या इससे अधिक) न
 9. अवैध जमाबन्दी की जाँच किस राज्य अभिलेख से की गई है - न
 i) मृत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - न
 ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोबस्ती पंजी से - न
 iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - पंजी II से
 10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? न
 11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? न
 12. वर्ष 1954-55 में हुए फिरोख युझारत पंजी में इखल कब्जा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? न
 13. राज्य कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशासना सहित - न
 14. अंचल निरीक्षक का स्थानीय जाँचप्रस्ताव मनास्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - न
पत्र 30 मि के प्रिसेट के अन्तर्गत में जो 10 म 2 म 30 मि
अंकित अवैध जमाबन्दी का नाम 'मंगल' यह है जमाबन्दी निरस्त कि
या किनासा के जमाबन्दी
 अं. नं. 23/11/20 भूमि सुधार उन्मूलन विभाग, अनुमंडल पदा. अपर सहायक जमाबन्दी

जो पुराना पत्रावली 289 के जो
अब 210 रकबा के रकबा के
पर सुपेरेडियमिंग में 9 रकबा
का अंतर है जमाबन्दी
वही 210 रकबा का रकबा है